कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 3154 /12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 23/02/ 2016.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ।

विषय :– पालड़ीछीना–मल्ली ढाना–नैनी मोटर मार्ग निर्माण – 6.00 किमी0 प्रस्ताव संख्या (11032 / 2015)

संदर्भ :– **आप द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव दिनांक 18.02.2016.**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.02.2016. को आपके साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। आपके द्वारा प्रेषित पार्ट II में सूचित बांज वृक्षों का मिलान हार्ड कापी से करने पर निम्न कमियाँ पायी गई है।

आप द्वारा विषयगत प्रस्ताव ऑन लाइन प्रेषित किया गया है जिसमें पार्ट-II का हार्ड कापी से मिलान करने पर वृक्षों के (Girth Class Wise) सूची में अन्तर है। आपके द्वारा पार्ट-II में सूचित वृक्षों की सं0 305 है जिसमें 122 बांज प्रजाति के वृक्ष सूचित है जबकि हार्ड कापी का अवलोकन करने पर प्रपत्र 16 में सूचित कुल बांज वृक्षों की संख्या 127 है प्रपत्र संख्या 15 से 15.5 को जोडने पर कुल बांज वृक्षों की संख्या 128 है। कृपया वृक्षों की (Girth Class Wise) सूची पार्ट-II में सही करे।

2. प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण संख्या 2 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार (Girth Class Wise) सूची प्रस्ताव में संलग्न नही है। इस सम्बन्ध में V.C में भी चर्चा के दौरान यह प्रकरण आया कि मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची प्रस्ताव में अंकित की जाय। अतः वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न की जाय। भविष्य मे ऑन–लॉइन किये जाने वाले सभी प्रस्तावों में वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार (Girth Class Wise) सूची भी संलग्न की जाय।

3. प्रस्तावित परियोजना में 4.935 है0 आरक्षित वन प्रभावित होना सूचित किया है परन्तु आरक्षित वन क्षेत्र एवं कक्ष अंकित नही है।

कृपया उक्त आपत्तियों का त्वरित गति से निस्तारण कर प्रस्ताव ऑनलाईन के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करे।

पत्र संख्या 3741
ल संख्या 12-1-2
ांक 25-2-16
कार्य करें।
कार्यालय, वनाधिकारी

भवदीय
23/2
(प्रेम कुमार)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Rn 3741 / 12-1-2 दि0 25-2-16

अधिशासी अभियन्ता लो० नि० विभाग बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित है कि वन संरक्षक अल्मोड़ा द्वारा लगाई गयी आपत्तियों में से आपत्ति संख्या (2) व (3) का अपने स्तर से निराकरण करने का कष्ट करें।